ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No. :UPBIL04292,
RNI REG. No.: UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No.: 561/2013-14 Vol.-5, No.-II, PP-289-292,YEAR- DEC.2016

अनुसूचित जातियों पर निर्धनता उन्मूलन नीतियों और पंचवर्षीय योजना के प्रभाव का अध्ययन

❑ डॉ0 अमृता श्रीवास्तव

भारत एक विकासशील देश है। जो निरन्तर लम्बी अवधि से प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर रहा है। लेकिन फिर भी विकास की बहुत सी चुनौतियां, विशेष रूप से देश में गरीबी बनी हुई है। हालांकि पिछले छह दशकों में गरीबी के शमन के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास किए गए है और गरीबी को सघनता में गिरावट भी दर्ज की गई है। फिर भी गरीबों की संख्या कुल मिलाकर लगभग वही रही है। इसका कारण मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि, लगातार बनी रहने वाली गरीबी और गरीबी की गतिशीलता है। जनसंख्या की .ष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है जिसमें 68.85 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 31. 15 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64 प्रतिशत रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। इन सभी कारणों से भारत में गरीबी मात्रात्मक रूप से बढ़ती जा रही है। गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिससे समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है।

25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा को अंतिम बार सम्बोधित करते हुये डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था–''सामाजिक स्तर पर भारत में एक ऐसा समाज है, जो असमानताओं पर आधारित है जिसमें कुछ लोग उन्नति की ओर और कुछ अवनति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज में कुछ लोग अत्यधिक धनवान हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, जो अत्यधिक गरीबी से त्रस्त हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय (संसाधन, पद, अवसर, सम्मान का वितरण, सामाजिक आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करना) और राजनीतिक न्याय (वयस्क मताधिकार) को प्राप्त करना है।''

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 भारतीय समाज में गरीबी को कम करने तथा समानता की स्थापना का प्रयास करता है तथा सामाजिक विशेषाधिकारों का अन्त करता है। अनुच्छेद 16 '4' में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विशेष प्रावधान का अधिकार राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 15 '2' में राज्य तथा नागरिकों दोनों पर धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि अनुच्छेद 39 'क' पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है तथा दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 41 में निर्देश दिया गया है कि राज्य बेरोजगार, वृद्ध, बीमार और दिव्यांगजनों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगी। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करेगा। संविधान के अनुच्छेद 16 '4' 330, 332 एवं 335 के अनुसार राजनैतिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गयी। यहीं नहीं उन्हें अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता कानूनी संरक्षण एवं अन्य सहायतायें भी प्रदान की गयी है। अनुसूचित जातियाँ और निर्धनता अनुसूचित जाति शब्द का

❑ एसोसिएट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित साइमन कमीशन द्वारा किया गया। अनुसूचित जातियों की सूची में वर्तमान मे उत्तर प्रदेश की 66 जातियों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें कुछ अनुसूचित जातियाँ निम्न हैं–वाल्मिकी, बसोर, चमार, धोबी, डोम, कोरी, कन्जड़, नट, पासी, शिल्पकार, खटिक, तुरहा आदि। ये जातियाँ अत्यन्त ही निर्धन, शोषित, उपेक्षित एवं सामाजिक रूप से अन्तज्य एवं बहिष्त मानी जाती रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जातियों के नाम से सम्बोधित किया। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को परिभाषित कर उनके विकास हेतु अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एव राजनैतिक कदम उठाये गये हैं। अनुच्छेद–17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, 1955 से अधिनियम बनाकर उसे दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121.07 करोड़ (62.32 करोड़ पुरुष और 58.75 करोड़ महिलायें) में 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की समस्त जनसंख्या 19.98 करोड़ आँकी गयी है, जिसमें 15.53 करोड़ (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में 4.1 करोड़ (20.70 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के लोग हैं जिसमें 3.5 करोड़ (22. 98 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये साक्षरता दर 60.9 प्रतिशत जबकि कुल जनसंख्या के लिये यह दर 67.7 प्रतिशत थी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या मे से 44.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 40.0 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग तथा 17.3 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोगों में गरीबी व्याप्त है। बुन्देलखण्ड की कुल जनसंख्या में से 41. 3 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 32.1 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग तथा 13.9 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोगों में गरीबी व्याप्त है।

अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। देश की कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का 23.3 प्रतिशत है। लगभग 84.0 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जो बन्धुआ मजदूरों, सीमान्त किसानों, जोतदारों के रूप में जीवन–यापन करती है। अनुसूचित जातियों के लगभग 16.0 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते है। करीब–करीब ये सभी लोग जो सफाई, मैला ढोने तथा चमड़ा साफ करने के काम में लगे होते है, अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति के करीब 45.0 प्रतिशत लोग मजदूर श्रेणी के हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हुए आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार है। इस प्रकार से अनुसूचित जातियों में गरीबी का प्रतिशत अत्यधिक है, जो एक चिंता का विषय है। निम्न साक्षरता दर तथा उच्च निर्धनता दर उनकी अत्यंत दयनीय सामाजिक–आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करता है। भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति अत्यन्त निम्न है, उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ती है एक तो गरीब होना और दूसरा पिछड़ी जाति का सदस्य होना। अनेक सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कारकों के कारण वे समाज के अत्यधिक उपेक्षित और निर्धन वर्गों में आते हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, पोषण, जीवन प्रत्याशा दर का स्तर अत्यंत निम्न है। यहीं नहीं समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी उनको उपेक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति के निर्धन लोगों एवं उनकी समस्याओं पर अध्ययन आश्चर्यजनक रूप से कम है, कुछ लोगों ने इसका कारण प्रायः अनुसूचित जातियों का ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम परिस्थितियों में निवास करना बताया है। जहाँ शोधार्थियों का ध्यान कम जा पाता है। अगर हम अनुसूचित जातियों में गरीबी को देखें तो इसमें भी हमें बड़ी असमानता देखने को मिलती है। शहरों की अपेक्षा गाँवों में इनकी गरीबी का प्रतिशत अधिक है जहाँ इनकी एक समस्या निरक्षरता की है जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध रोजगार एवं निर्धनता से है। सरकार द्वारा प्रत्यायोजित लाभों का उपयोग कुछ शहरी व शिक्षित अनुसूचित जाति के

लोग ही करते हैं अर्थात इनमे भी लाभ व विकास अनुचित वितरण है।

ए.आर. देसाई का कहना है कि अब भी ग्रामीण भारत में भेदभाव अनुसूचित जातियों का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इन्होंने .षकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया–

1. धनी किसान (भूस्वामी किसान) (कुल भूमि का 50 प्रतिशत भाग पर अधिकार)
2. मध्यम किसान (कुल भूमि का 30 प्रतिशत भाग पर अधिकार)
3. गरीब किसान (कुल भूमि का 17 प्रतिशत भाग पर अधिकार)
4. कृषि मजदूर (कुल भूमि का 2 प्रतिशत भाग पर अधिकार)

निर्धनता उन्मूलन नीतियाँ और पंचवर्षीय योजनायें– भारत में नीतिगत पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों से तय हुआ है। देश के संसाधनों का प्रभावी दोहन, उत्पादन वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और समाज के हित में सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने हेतु भारत सरकार द्वारा में योजना आयोग की स्थापना की गयी थी। सन् 1950 में योजना आयोग ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक नीति बनायी। उसकी यह धारणा थी कि गरीबी का सम्बन्ध आर्थिक संवृद्धि के साथ है। यदि आर्थिक संवृद्धि होगी तब अपने आप गरीबी में कमी आ जायेगी। प्रथम पंचवर्षीय नीति 1950 में शुरू की गयी थी, जिसका लक्ष्य चतुर्मुखी संतुलित विकास करना था। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्रमशः औद्योगिकरण, आत्मनिर्भर विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979) का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की उपभोग और आय की क्षमता को बढ़ाना था। इस योजना का उददेश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, न्यूनतम मजदूरी नीति, क्षेत्रीय असंतुलनों को हटाना और निर्यात को प्रोत्साहन देना था। 1975 में लागू 'गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम' का उद्देश्य में निर्धन व्यक्तियों को निर्धतना रेखा से ऊपर उठाना था जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली थी। इसलिये छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) का सर्वप्रमुख उददेश्य गरीबी को दूर करना था। इसमे आर्थिक विकास, बेरोजगारी का उन्मूलन, सभी वर्गों में आय के बँटवारे में असमानता को कम करना, समाज के कमजोर वर्गो की जीवन शैली को ऊपर उठाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय स्तर पर विकास की विशेष योजनाएँ बना करके, उन्हें तेजी एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

सातवीं (1985–90), आठवीं (1992–97) और नवीं (1997–2002) पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य निर्धनता में उल्लेखनीय कमी लाना, निर्धनों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना था। इन योजनाओं का लक्ष्य कुछ बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बल देना तय हुआ ताकि चरणबद्ध तरीके से सम्पूर्ण आबादी को इसका लाभ पहुँचाया जा सके। जैसे–गरीबों के लिए घर, सभी गाँवों और बस्तियों के लिए सड़क, पर्याप्त रोजगार का सृजन करना, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन और विकास के लिए अधिकार प्रदान करना। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में आर्थिक विकास के लाभ आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ उददेश्य तय किये गये, जैसे–गरीबी के अनुपात को घटाना, जनसंख्या वृद्धि में कमी करना, लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था आदि। इस योजना में गरीबी और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के मुद्दों पर ध्यान दिया गया। 2007 तक गरीबी के अनुपात को 26 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत रह गयी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)– इस योजना में समावेशी विकास के दृष्टिगत ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया

है। गरीबों की संख्या में कमी करना इस योजना का एक सर्वप्रमुख लक्ष्य है। इस योजना में कहा गया है कि गरीबी की प्रतिशतता में तथा गरीबों की संख्या में निरन्तर कमी हेतु तीव्र आर्थिक वृद्धि एक प्रमुख कारक है, किन्तु विकास का लाभ गरीबों को गैर आनुपातिक रूप से प्राप्त होने की प्रवृत्ति के कारण तीव्रतर दर से रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, शिशु–पोषण और गरीबी निवारण हेतु क्रियान्वित प्रत्यक्ष कार्यक्रमों पर सरकार बल देगी। इस योजना का लक्ष्य गरीबी के स्तर को 2011 तक कम करके 16.2 प्रतिशत तक ले आना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 83 करोड़ 30 लाख लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं। इसलिए 12वीं योजना के दृष्टिपत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयासों के रूप में कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने और ग्रामीण आबादी को गैर–कृषि गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करने पर जो दिया गया है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण एवं विकास के लिए कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों में तेजी से रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ–साथ स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले की योजनाओं का मूल्यांकन करें तो पायेगें कि हमने योजनाओं के छः दशक पूरे कर लिये हैं। हमारी सभी योजनाओं न कोई न कोई लक्ष्य था, कभी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कभी रोजगार, औद्योगिक विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम आदि। परन्तु निर्धनता एवं बेरोजगारी में सदैव वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर चतुर्थ योजना तक राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, औद्योगिकरण आदि था। पाँचवीं और छठी योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। इस योजना ने अच्छी तरह सफलता अर्जित की। गरीबी का अनपात प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गयी। सातवीं से लेकर दसवीं योजना तक सभी का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी–उन्मूलन के लिए अनेक नीतियाँ बनायी गयी, परन्तु आज भी लगभग एक–चौथाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। साथ ही बहुत से ऐसे लोग है, जिनको स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा सिर ढ़कने को छत और पहनने के लिए उपयुक्त कपड़े नहीं है। यद्यपि सरकार का यह दावा है कि 1973–74 में 54.9 के स्थान पर 1999–2000 में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का केवल 26.1 प्रतिशत ही रह गयी है। जबकि 2004–05 में 21.1 तथा 2007 में 19.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं के साथ–साथ राज्य द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत किया गया। गरीबी के संदर्भ में जिनका उल्लेख करना अनिवार्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा राम (2004) सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
3. जमुआर एवं शंकर रवि (2003), भारत में पंचवर्षीय योजनायें और निर्धनता निवारण, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. कटार सिंह (2011), ग्रामीण विकास, सिद्धान्त, नीतियाँ एवं प्रबन्ध, सेज पबिलकेशन्स, जयपुर।
5. सागर दीप (1990), रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया : ए हिस्ट्रोटिकल एनालिसस, द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडनिनेस्ट्रेशनल, नई दिल्ली।
6. आर्थिक सर्वेक्षण (2010), आर्थिक प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. भारत (2013), पंचवर्षीय रिपोर्ट, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट (2012) आई0डी0एफ0सी0 फाउण्डेशन, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।